न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 121/2012 निर्णय दिनांकः– 12-5-26
(जीसीएमएस संख्या 2012/00003)

1. रामप्रताप
2. सत्यनारायण
3. गंगाबिशन
4. जगदीश
5. गिरधारीलाल

पुत्रगण जगमालराम जाति जाट निवासी बछरारा हाल राजियासर तहसील सुरतगढ़

6. लखराम
7. लक्ष्मीनारायण
8. नन्दराम
9. कृष्ण उर्फ किशनलाल

पुत्रगण गुमानाराम जाति जाट साकिन बछरारा हाल राजियासर तहसील सूरतगढ

–अपीलांट्

–बनाम–

1. वन विभाग जरिये वन संरक्षक, खाजूवाला
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजूवाला

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29–11–2011
उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला

उपस्थितः
1. श्री सुरेश व्यास, अभिभाषक अपीलांट्
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित।
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के निर्णय व डिक्री दिनांक 29–11–2021 जिसके द्वारा अपीलांट्स का दावा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध एवं गलत आधारो पर होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के विपरीत पारित किया गया है। अपीलांट/वादीगण को ग्राम राणीसर के खसरा नम्बर 46 में 100 बीघा भूमि गुड्डी बेवा किसना जाति जाट को बतौर महाजन फिल्ड फायरिंग विस्थापित होने की वजह से दिनांक 26-07-1991 को आवंटित हुई थी। आवंटन के पश्चात उक्त भूमि के खातेदार ने दिनांक 03-09-1991 को वादीगण के नाम जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर बैचान करदी थी जिसका राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल संख्या 70 स्वीकृत हो चुका था। अपीलांटस/वादीगण को उक्त भूमि का कब्जा भी दे दिया था। मौके पर वादीगण की ढाणी बनी हुई है। अपीलांट को जिस जगह कब्जा दिया गया वह खसरा नम्बर 66 वर्तमान चक 4 डी. के.डी. के मुरब्बा 24/6, 24/7, 24/8, 24/15 व 24/16 कुल 100 बीघा की भूमि थी। वन विभाग को उपनिवेशन विभाग द्वारा 100 बीघा भूमि खसरा नम्बर 46 में आवंटित की गई थी। वन विभाग की तारबंदी व वृक्षारोपण उक्त भूमि पर रहा है । स्वयं वन विभाग द्वारा पत्र क्रमाक 5281 दिनांक 16-10-1996 के द्वारा जिला कलक्टर को खसरा नम्बर 46 एवं 66 के विनियम की स्वीकृति हेतु सहमति देते हुए खसरा नम्बर 46 वन विभाग के नाम दर्ज करने का निवेदन किया था। तदनुसार खसरा नम्बर 66 तादादी 100 बीघा जिसके वर्तमान चक 14 डी.के.डी. के मुरब्बा 24/6, 24/7, 24/8, 24/15 व 24/16 कुल 100 बीघा भूमि अपीलांट के नाम दर्ज करने मे कोई कानूनी बाधा नही है। अपीलांट की कब्जे काश्त की खातेदारी 100 बीघा भूमि वन विभाग की नही है। ना ही अपीलांट अतिक्रमी है। महज रेवेन्यु रिकॉर्ड की विसंगती को दुरूस्ती करने की आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रशासनिक तरीके से उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला हस्तगत प्रकरण में दिया है। उच्च न्यायालय की नजीर वही चस्पा होती है जहॉ रिकॉर्ड में वन विभाग के कब्जे की भूमि गलत आवंटित हुई हो या किसी पक्षकार के कब्जा में गलत ढंग से दर्ज की गई हो। प्रस्तुत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि को केवल तबादला मंजूर कर रिकॉर्ड मौके के अनुसार संधारण किया जाना है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी तथ्य गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किये कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की पीठ पीछे पारित किया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को कहा गया था कि अपीलांट की अपील गवाही की स्टेज पर है आपको साक्ष्य देने हेतु बुला लूंगा। पहले आने की जरूरत नही है। दिनांक 30–10–2012 को अपीलांट जब अपने वकील से मिला तो अपीलांट के वकील ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को दी। उसी दिन अपीलांट द्वारा नकल हेतु आवेदन किया तथा नकल प्राप्त की गई। अपीलांट द्वारा जानबुझकर देरी कारित नही की है। अतः अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत अराजी वन विभाग को आवंटित ह। उपनिवेशन विभाग द्वारा उक्त भूमि को वन विभाग को आवंटित की गई थी। प्रश्नगत भूमि पर वन विभाग का शुरू से ही कब्जा रहा है। वन विभाग द्वारा प्रश्नगत अराजी पर कई वानिकी कार्य किये है। अपीलांट द्वारा अपील केवल भूमि हड़पने की नियत से पेश की गई है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

रेस्पोडेन्ट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किये कि अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है तथा मियाद कंडोन करने का कोई संतोषजन कारण दर्शित नही किये है। अतः अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29–11–2011 के विरूद्व अपील दिनांक 31–10–2012 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके जवाब में कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्धान्त की है कि जहॉ प्रकरण में विलम्ब अत्यधिक नही हो

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तब प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर है। लिहाजा प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

पत्रावली के अवलोकन से निम्नाकिंत तथ्य प्रकट होते है–

a. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो आवंटन आदेश दिनांक 26–07–1991 से यह प्रकट होता है कि गुड्‌डी बेवा किसना को खसरा नम्बर 46 की 100 बीघा बारानी भूमि का आवंटन किया गया। आवंटन आदेश पर सम्पूर्ण राशि जरिये चालान संख्या 161 दिनांक 24–07–1991 द्वारा जमा करवाया जाना अंकित है साथ ही राज्यादेश दिनांक 07–03–1987 के तहत खातेदारी अधिकार दिया जाना भी अंकित है।

b. पत्रावली पर उपलब्ध उपवन संरक्षक ई.गा.न.प. छतरगढ़ के पत्रांक 5281 दिनांक 16–10–1990 का अवलोकन किया गया। इस पत्र में उपवन संरक्षक द्वारा जिला कलक्टर को पत्र लिखते हुए यह अंकित किया गया है कि राणीसर बारानी के खसरा नम्बर 46 ब्लॉक नम्बर 24 में 50 बीघा भूमि लेखराम तथा 50 बीघा भूमि रामप्रताप की खातेदारी भूमि में वन विभाग द्वारा वन विकास कार्य करवाया जा चुका है। उक्त काश्तकारो की 100 बीघा खातेदारी भूमि बदले चक 14 डी.के.डी. में वन विभाग को आवंटित तथा वन विभाग द्वारा विकास कार्य नही करवाई गई 100 बीघा भूमि (मुरब्बा 24/6, 24/7, 24/8, 24/15 व 24/16) की भूमि उक्त काश्तकारो को आवंटन की जाती है तो यह कार्यालय सहमत है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

c. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट व वन विभाग का खसरा नम्बर 46 की भूमि का वन विभाग की 14 डी.के.डी. की भूमि से विनिमय हेतु भरा गया प्रपत्र उपलब्ध है जिसमें उभय पक्ष के हस्ताक्षर अंकित है।

d. पत्रावली पर उपलब्ध उपखण्ड़ अधिकारी, खाजूवाला ने पत्र दिनांक 01–01–1997 के अवलोकन से प्रकट होता है कि उपखण्ड़ अधिकारी, खाजूवाला ने जिला कलक्टर, बीकानेर को प्रेषित इस पत्र में यह अंकित किया गया है कि ग्राम राणीसर के खसरा नम्बर 46 में रामप्रताप व लेखराम वगै. के नाम 100 बीघा भूमि जमाबंदी में खातेदारी दर्ज है। इसी गॉव के खसरा नम्बर 66 जो कि खसरा नम्बर 46 के चिपता हुआ है तथा हाल चक 14 डी.के.डी. के मुरब्बा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

24/6, 24/7, 24/8, 24/15 व 24/16 कुल 100 बीघा जमाबंदी में वन विभाग के नाम दर्ज है लेकिन इस भूमि पर कोई वन विकास कार्य नही हुआ है व इस भूमि पर रामप्रताप व लेखराम द्वारा अतिक्रमण कर काश्त किया हुआ है व उपवन संरक्षक, छतरगढ़ द्वारा पत्रांक 5261 दिनांक 16–10–1990 के द्वारा भी उक्त भूमि इन काश्तकारो को आवंटन करने हेतु अपनी सहमति दी है। अतः तबादला नियमानुसार किया जाना उचित है।

e. उपखण्ड़ अधिकारी के पत्र दिनांक 01–01–1997, न्यायालय सहायक वन संरक्षक, छतरगढ़ के निर्णय दिनांक 26–04–2013 व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से यह प्रकट होता है कि खसरा नम्बर 46 की 100 बीघा भूमि अपीलांट की भूमि है जबकि खसरा नम्बर 66 (चक 14 डी.के.डी.) की 100 बीघा भूमि वन विभाग की भूमि है जबकि मौके पर एक–दूसरे की भूमि पर काबिज है।

f. अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीए सपठित धारा 136 एलआरए का प्रस्तुत कर कब्जे व विनिमय पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई। वन विभाग द्वारा जवाब दावा में वाद पत्र के कथनो का खण्डन किया गया।

g. यह विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्त है कि जवाब दावा में वाद पत्र के कथनो को अस्वीकार किये जाने की स्थिति में न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की जाती है और तनकीयात के आधार पर जरिये साक्ष्य गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

h. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब दावा में वाद पत्र के कथनो का खण्डन किये जाने के उपरान्त भी प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई, जो कि विधिक दृष्टि से उचित प्रतीत नही होता है। बिना तनकीयात कायम किये एवं वादीगण की साक्ष्य लिये बिना केवल जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो पर गौर नही किया और अपीलाधीन निर्णय में भी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का विवेचन नही किया। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की जानी थी कि–

1. आया वादीगण खसरा नम्बर 66 की भूमि पर कब्जे व विनिमय पत्र के आधार पर रिकॉर्ड दुरूस्ती व खातेदारी अधिकारो के घोषणा के अधिकारी है। (जिम्मे वादी)

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. आया खसरा नम्बर 66 की भूमि पर वन विभाग द्वारा कोई वानिकी कार्य नही करवाया गया है। (जिम्मे वादी)
3. आया वादीगण को खसरा नम्बर 46 में वन विभाग की भूमि पर किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। (जिम्मे प्रतिवादी)
4. आया वादीगण विनिमय पत्र के आधार पर खसरा नम्बर 66 की भूमि पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा के अधिकारी नही है। (जिम्मे प्रतिवादी)
5. आया खसरा नम्बर 66 की भूमि वन विभाग को आवंटित भूमि है जो कि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने के कारण वादीगण कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नही है। (जिम्मे प्रतिवादी)
6. अन्य

i. अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में बिना तनकीयात कायम किये, बिना साक्ष्य वादी/प्रतिवादी लिये, बिना विधिक प्रकिया अपनाये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो कि पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नही आता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, खाजूवाला को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उपर्युक्तानुसार तनकीयात बनाकर जरिये साक्ष्य वाद की विधिक प्रकिया अपनाते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

7. निर्णय आज दिनांक 12/5/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर